



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Phone No. 0141-2710978

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2022 /


दिनांक :

परिपत्र

विश्वविद्यालय वित्त समिति की अनुशंषा संख्या 7 दिनांक 28.03.2022 को सिण्डीकेट प्रस्ताव संख्या 10-1.6 दिनांक 05.05.2022 द्वारा अनुमोदित कर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) को विश्वविद्यालय के नियमित कर्मियों के लिए अनिवार्य किया गया है। जिसके लिए कार्मिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अंशदान राशि जमा/कटौती कराते हुये कार्यवाही करनी होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय के पेंशनर्स के लिए इस योजना को वैकल्पिक रखा गया है तथा चिकित्सा पुनर्भरण की अधिकतम सीमा एक वित्तीय वर्ष (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) के लिए प्रत्येक पेन्शनर हेतु रु. 933000/- (10,00,000 - पेन्शनर द्वारा देय अंशदान राशि) निर्धारित की गई है। जो पेंशनर आर.जी.एच.एस. योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें इसके लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एकमुश्त अंशदान राशि जमा करानी होगी।

यह आदेश कुलपति महोदय से अनुमोदित है।



(डा. होशियार सिंह)
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

दिनांक : 17/07/2022

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2022 / 621-34

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को अग्रप्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आर.जी.एच.एस., राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस परिपत्र को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित करावें।
5. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सहायक कुलसचिव, लेखा एवं वित्त-प्रथम/द्वितीय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. अध्यक्ष, रूटा/रून्टसा/सहायक कर्मचारी/तकनीकी कर्मचारी संघ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय पेन्शनर्स असोसियेशन, जयपुर।


(राजकुमार जैन) 01/07/22
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त